

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली







मु० न०:- 133 / 2020

तारीखरजु:- 14-12-2020

(1)

उनवान:- गंगासहाय बनाम सल्ली वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुरती स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
4.12.2020	<p>वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुरती स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.01.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
19.1.21	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा ADV. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3 बख्शूद सूचना उप० नहीं है। उनके विरुद्ध एक पक्षीप कार्यवाही की जाती है जबकि पेश करने दि० 29.1.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
29.1.21	<p>वकालतनामा उप०। जबकि पेश करने दि० 8.2.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
8.2.21	<p>वकालतनामा उप०। अवाप पेश करने के लिए समय चाहा काईसा दिनांक 22.2.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
22.2.21	<p>वकालतनामा उप०। जबकि दावा पेश करने दि० 8.3.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
8.3.21	<p>अवकाश घोषित</p>
9.3.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक... 2.3.21... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>

6378-80
14-12-2020



फर्द अहकाम

पत्तावली पेश हुई। वाही वकील व वाही
कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार
आवाज दी गई। इसके बावजूद भी
कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए पत्तावली
अइम यैरवी व अइम हाजिरी में बगहिना
की जाती है।

पत्तावली फैसल कुमार होकर
नबाल से कम होकर दाखिल इफतर है।

(5)